

राजस्थान सरकार

निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक:- F 7(1) आं. का./सहा. का. प्र./प्रशिक्षण/ICDS/17/ 173512

जयपुर दिनांक

26-9-18

कार्यालय आदेश

वर्ष 2018-19 के वार्षिक प्रशिक्षण कलैण्डर के तहत आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के कार्य प्रशिक्षण हेतु नामांकन आदेश जारी कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे नामांकित संख्या में संबंधित आंगनबाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र पर दिनांक 04.10.2018 से 06.11.2018 तक प्रशिक्षण हेतु आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को भिजवाकर सूचित करें। इस संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें :-

1. गर्भवती एवं 6 माह के बच्चे की माता को प्रशिक्षण में नामांकित नहीं किया जावे।
2. प्रशिक्षणार्थी कार्यकर्ताओं के साथ 6 माह से 3 वर्ष तक का बच्चा साथ होगा तो प्रति बच्चा प्रतिदिन रु. 20/- आवास भोजन हेतु संस्था में जमा कराने होंगे। यदि साथ में महिला अटेन्डेन्ट हो तो रु. 150/- प्रति व्यक्ति के हिसाब से संस्था में जमा कराने होंगे। पुरुष अटेन्डेन्ट संस्था में नहीं रह सकेगे।
3. उन्हीं आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को कार्य प्रशिक्षण में भेजें। जिन्होंने पूर्व में कार्य प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हो।
4. आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को यात्रा भत्ता (TA) का भुगतान आंगनबाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र पर ही किया जावेगा। इस हेतु मानदेयकर्मी अपना बैंक का नाम, बैंक शाखा, अकाउन्ट नम्बर, IFSC कोड आदि जानकारी केन्द्र को उपलब्ध करायें।
5. आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के आवास एवं भोजन की व्यवस्था आंगनबाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र पर ही उपलब्ध होगी।
6. सभी आंगनबाडी कार्यकर्ता अपना परिचय-पत्र/पहचान पत्र (आधार कार्ड की प्रतिलिपि) साथ लेकर जावें तथा प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं होने पर उनको हटाने के लिये कार्यवाही की जावेगी।
7. सम्बन्धित उप निदेशक आंगनबाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र को परियोजनावार नामांकन सूचना सम्बन्धित आदेश प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ होने के न्यूनतम तीन दिवस पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. कार्य प्रशिक्षण हेतु नामांकित कार्यकर्ता यदि वांछित संख्या में नहीं पहुंचती है तो AWTC प्राचार्य सम्बन्धित जिलों से या निकटवर्ती जिलों से सम्पर्क कर प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध योग्य कार्यकर्ता नामांकित करे ताकि प्रशिक्षण सत्र पूर्ण हो सके व अधिकतम कार्यकर्ताओं कार्य प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। नवीन नामांकित कार्यकर्ताओं की सूचना निदेशालय अनिवार्यतः प्रेषित करें।
9. सम्बन्धित आंगनबाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र प्रशिक्षण संबंधी आदेश प्राप्त न होने की स्थिति में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ होने से न्यूनतम 2 दिवस पूर्व उपनिदेशक कार्यालय एवं निदेशालय सूचना दें, ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रम में मानदेय कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकें।



उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- F 7(1) आं. का./सहा. का. प्र./प्रशिक्षण/ICDS/17/ 173513-534
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

जयपुर दिनांक

26-9-18

1. प्राचार्य, आंगनबाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्
3. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग
4. लेखा प्रशाखा, मुख्यालय, जयपुर
5. उपनिदेशक/एसीपी, कम्प्यूटर सेल को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।



उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।

आंगनबाडी कार्यकर्ताओं का कार्य प्रशिक्षण नामांकन दिनांक 04.10.2018 से 06.11.2018 तक

क्र. सं.	आंगनबाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र	दिनांक	जिले का नाम— नामांकन संख्या	कुल नामांकन संख्या
1.	राजस्थान विद्यापीठ हट्टण्डी (अजमेर) द्वितीय यूनिट P.N- 9462409035	06.10.18 से 06.11.18	करौली— 20 भीलवाड़ा— 15	35
2.	सीकाईडीकोन, शील की डुंगरी, चाकसू (जयपुर) P.N- 7568304930	04.10.18 से 04.11.18	जयपुर— 25 अलवर— 10	35
3.	विद्या भवन ग्रामीण संस्थान, बड़गाँव रोड, उदयपुर P.N- 9462023109	04.10.18 से 04.11.18	उदयपुर— 17 राजसमन्द—18	35
4.	मुस्कान संस्थान महिला ग्रामीण विकास एवं तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान डूंगरपुर P.N- 9413306768	04.10.18 से 04.11.18	प्रतापगढ़— 10 बांसवाड़ा— 10 डूंगरपुर— 15	35
5.	मीरा संस्थान, बोरावाड़ा जोधपुर द्वितीय यूनिट, P.N- 948747776	04.10.18 से 04.11.18	जोधपुर	35
6.	टैगोर शोध एवं विकास संस्थान, अकलेरा, झालावाड़ P.N- 9413353030	04.10.18 से 04.11.18	झालावाड़— 10 बारां— 15 बूंदी— 10	35